



फर्द अहकाम

2017/00050

उत्प्रेक्षित नाम उमरातदिह

नय : सहायक कलक्टर, बरसौ

पार्श्वना पत्र, मुकदमा नम्बर : 53/17

आज्ञा संवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>कदम पर कतल करके के पश्चात वाड                      उक्त ग्रामि ख.नं. 32 ख.नं. 2 वीधा 9                      किंवा तथा ख.नं. 29, 30, 31, 32, 32                      से 34/9, 34/2 से 34/9 कुल किंवा                      23 कुल ख.नं. 61 वीधा 8 किंवा स्थित                      ग्राम माली हाली तहसील बरसौ जिला                      जालंधर के सम्बन्ध में वसील वारी                      द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत                      अथवा गवाह (साक्षी) आदि पेश नहीं                      किए जा सके वारी के पक्ष में दावा                      साबित होता है एवं वारी के वाड पत्र                      में - पाही गयी रिलीफ दिलायी जा सके।</p> <p>अतः वसील वारी द्वारा उक्त वाड                      उक्त ग्रामि के सम्बन्ध में अपने पत्र में वाड                      पत्र को साबित नहीं करते के कारण वाड                      पत्र में - पाही गयी रिलीफ दिया जाना उचित                      प्रतीत नहीं होने से दावा वारी आसानी से                      खारिज किया जाता है पत्रावली फौजदारी                      दफ्तर वाड तमनील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">२/१</p>	